अंतिम आदेश
8/6/15

पक्षकार आज राजस्व लोक अदालत/ बेन्च होने अभियान मुः सेमड पर पेश हुये। वादी एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रकरण बेन्च कोर्ट में लिया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजा सेमड की जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 338 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी नम्बर 3076, 3082, 3083 किस्म 3 कुल रकबा 0.2750 हैं० भूमि के वादी खानदान धारण-कर्ता के प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा उनका है प्रतिवादी संख्या 7 ने दूसरे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है, जबकि बाजुर सूचना अनुपस्थित रहे हैं वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं एवं रजानंदाज के दूसरे धारण में हकदारी पैदा की जाती है जो उचित प्रतीत नहीं होता है अतः उपरोक्त किये गये के आधार पर मौजा सेमड तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 3076, 3082, 3083 किस्म 03 कुल रकबा 0.2750 हैं० भूमि में वादी के दूसरे धारण में किसी प्रकार की हकदारी पैदा नहीं होने बाबत् प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है पत्रावली निर्णीत होकर संख्या से कम की निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर